राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ 5(2)आप्र.एवं सहा./चारा डिपो/2012/1137-80 जयपुर,दिनांक 28-01-13

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर
नागौर, झुंझुनू, जोधपुर, चूरू
राजसमंद, पाली, जैसलमेर एवं सीकर ।

विषयः– अभाव सम्वत 2069 में अभावग्रस्त जिलों में अनुदानित दर पर चारा वितरण हेतु चारा डिपो स्वीकृति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के एफ.1(1)(4)सहा./सामान्य/2012/287–345 दिनांक 04.01.2013 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अभाव संवत 2069 में आपके जिले के लघु व सीमान्त श्रेणी के कृषक पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभाव अवधि तक चारा डिपो संचालित करने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जातें है।

भारत सरकार के पत्रांक 32–7/2011–NDM-I दिनांक 16.01.2012 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डो के बिन्दु सं. 6(V) के अनुसार पशु शिविर से बाहर के पशुओं के लिए चारा परिवहन अनुदान राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्न शर्तो के अन्तर्गत स्वीकृत करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता हैः–

1. यह परिलाभ लघु तथा सीमान्त श्रेणी के कृषक पशुपालको को दिया जायेगा।
2. इसमें अनुदान की राशि चारा परिवहन की वास्तविक लागत तक देय होगी।
3. पशुओं की संख्या का आंकलन पशु गणना पर आधारित तथा उससे संगत (Consistent) होने चाहिए।
4. जिलें में चारा डिपो खोलने हेतु स्थानों का चयन कर जिला कलेक्टर चारा डिपो की संख्या के एवं इसी अनुरूप बजट आवंटन के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस विभाग को प्रेषित करेगें। जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा उन्हें चारा डिपो खोलने की स्वीकृति तथा आवश्यकता अनुसार बजट आवंटन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के कम में पुनः निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. <u>चारा डिपो संचालक संस्थाऐं</u>–

जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को चारा डिपों संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए। यदि उक्त में से कोई ऐजेन्सी डिपो संचालन हेतु उत्सुक न हो तो जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं को यह कार्य दिया जा सकता है।

2. <u>चारे का क्रय</u>–

संस्था द्वारा डिपो पर चारा, राजस्थान के गैर अभावग्रस्त जिलों अथवा पड़ौसी राज्यों से क्रय कर वितरित किया जाए। चारे का वितरण पशु पालक को बिना लाभ–हानि के आधार पर किया जाए।

3. <u>चारा परिवहन अनुदान की दरे</u>–

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकम 5(9) आप्र. एवं सहा. /चारा/2009–10/5926–40 दिनांक 16.03.2010 अथवा परिवहन की वास्तविक लागत तक जो भी कम हो के अनुसार लागू होगी। तदनुसार ही डिपो पर लाये जाने वाले चारे पर परिवहन अनुदान का भुगतान संस्थाओं को किया जाए।

4 <u>चारा विक्रय दर का निर्धारण</u>–

जिला कलेक्टर द्वारा गठित सरपंच, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की समिति क्रय मूल्य के दस्तावेज देखकर परिवहन अनुदान की राशि घटाकर एवं 10 रूपये प्रति क्वि. जोडकर चारे की दर का निर्धारण करेगी।

5. <u>चारा वितरण में छीजत</u>–

चारा विक्रय मूल्य के अतिरिक्त किसी प्रकार की चारे की छीजत, तुलाई तथा प्रशासनिक व्यय देय नहीं है।

6. <u>ब्याज मुक्त ऋण</u>–

जिला कलेक्टर द्वारा डिपो का संचालन करने वाली संस्था का निरीक्षण तथा पूर्ण सत्यापन व संतुष्टि के पश्चात चारा डिपो स्वीकृति के साथ ही 1,00,000/– रूपये प्रति चारा डिपो के हिसाब से अग्रिम (कार्यशील पूंजी) के रूप में ब्याज मुक्त ऋण संस्था को उपलब्ध करावें व इस हेतु राशि की मांग अविलम्ब विभाग को प्रेषित करावें।

7. <u>चारा डिपो का स्वीकृति/सत्यापन</u>–

(i) चारा वितरण के लिए चारा डिपो की स्वीकृति जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाए, ऐसा अधिकारी अति.कलेक्टर के स्तर से कम नहीं हो।

(ii) चारे के वितरण की तस्दीक पटवारी अथवा सरपंच/उपसरपंच अथवा ग्राम सेवक से कराई जाए।

(iii) क्रय किये गये चारे के सम्बन्ध में धर्मकांटा तोल की रसीदों का प्रमाणिकरण तथा परिवहन के संबंध में कार्य से लिये गये वाहनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न प्रपत्र में तैयर करवाकर रिकार्ड में रखा जावे।

8. चारा डिपो का निरीक्षण–

(अ) जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि चारा डिपो से विक्रय किये जाने वाले चारे का प्रमाणीकरण समय–समय पर डिपो पर उपलब्ध आवश्यक रिकार्ड से कराते रहे तथा क्षेत्र में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

(ब) चारा डिपो संचालित किये जाने वाले स्थलों का जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए। प्रतिमाह निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित है:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	प्रतिमाह निरीक्षण किये जाने वाले चारा डिपो	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25%	तहसील/पं.समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10%	उपखण्ड
3.	अति.जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिःमुख्य कार्यकारी अधिकारी(सम्मिलित रूप से)	6%	जिला
4.	जिला कलेक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन एवंसहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 5 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राज0 जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, जिला प्रभारी मंत्री राज0, जयपुर।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुरं
7. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राज0 जयपुर।
8. निजि सचिव, अति0 मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेरी विकास विभाग राज0 जयपुर।
9. निजि सचिव, जिला प्रभारी सचिव राज0, जयपुर।
10. निजि सचिव, शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राज0 जयपुर।
11. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेंर, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर ।
12. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
13. समस्त अधिकारीगण आ.प्र.एवं सहायता विभाग राज0 जयपुर।
14. गार्ड फाईल हेतु।

संयुक्त शासन सचिव

चारा परिवहन प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ट्रक/ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नम्बर.........................चालक श्री..दिनांक...........................से दिनांक....................तक ग्राम..पंचायत.........................जिला......................में......................... क्विंटल चारा...............................(स्थान का नाम) से क्रय किया जाकर.....................(गंतव्य स्थान का नाम) तक......................किलोमीटर परिवहन किया गया।

हस्ताक्षर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर सरपंच	हस्ताक्षर पशुपालन/कृषि स्थानीय कर्मचारी पदस्थापित होने पर